न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण सख्या:—770/2020 दायर दिनांक:—09.09.2020

जीसीएमएस नं. 2020/00255

1. लच्छों आयु 45 साल
2. रामस्वरूप आयु 48 साल

} पिसरान सम्पत जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील सूरौठ जिला करौली

———सायलान—02

बनाम

1. हरिओम पुत्र किशन
2. राहुल } पिसरान
3. गोपाल } हरिओम
4. भूरीसिंह पुत्र रतन
5. दीपक } पिसरान
6. मनमोहन } भूरीसिंह
7. सुरेन्द्र } पिसरान
8. थानसिंह } धर्मसिंह
9. शिवसिंह पुत्र देवीसिंह
10. अजय सिंह पुत्र शिवसिंह
11. नारायण सिंह } पिसरान
12. मलखान सिंह } साहबसिंह
13. भरती पुत्र रामजीलाल
14. राजेश पुत्र रतनलाल
15. धर्मसिंह पुत्र रामसिंह

} समस्त जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

16. हीरालाल पुत्र मुंशी जाति हिन्दू लुहार निवासी ग्राम शेरपुर तहसील सूरौठ जिला करौली
17. तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली
18. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर करौली।

प्रार्थना पत्र [illegible] निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:16 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः— 1. श्री [illegible] सायल
2. श्री [illegible] अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय [illegible]क

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 साबिक 682 रकबा 7 बिस्वा तथा साबिक खसरा न0 681 रकबा 6 बिस्वा खसरा न0 683 रकबा 6 बिस्वा स्थित ग्राम शेरपुर

तहसील हिण्डौन हाल तहसील रही है, जो साबिक में वादीगण के बाबा मृतक भुल्लन की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि रही है।

वादीगण के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है:-

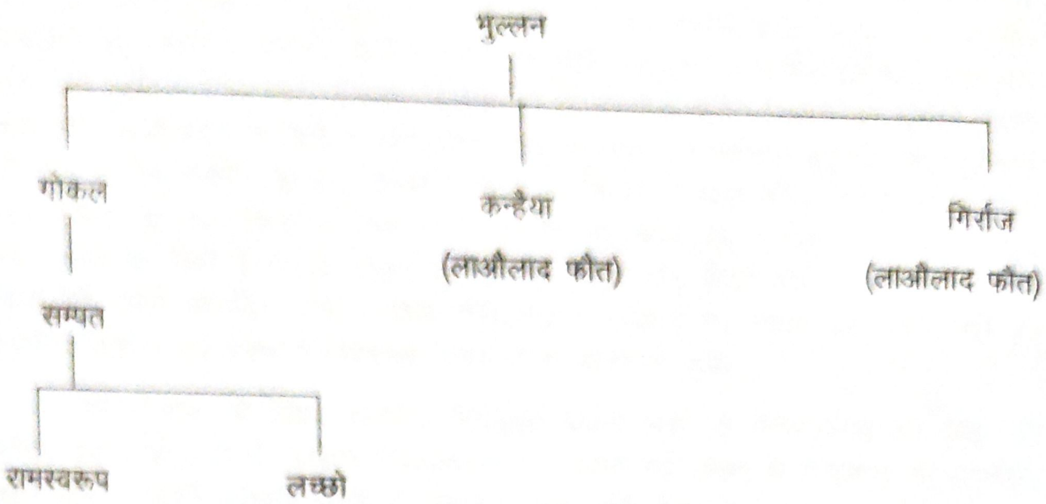

मुताबिक सजरा सायलान मृतक भुल्लन के वारिसान है और मृतक के तर्के पर काबिज व दखील है।

आराजी खसरा न0 साबिक 682 रकबा 7 बिस्वा में सायलान के बाबा भुल्लन ने अपने जीवनकाल में एक पुख्ता चाह बनवाया, जिसका उपभोग उपयोग सायलान बजमाने बुजुर्गान भुल्लन के समय से विगत पचासों साल से उपयोग उपभोग कर साबिक आराजीयात में साल दर साल फसल काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 2 प्रार्थना सायलान को उनके बुजुर्गो से प्राप्त मिल्कियत बखूबी साबित है।

दौराने सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने साबिक खसरा न0 682 रकबा 7 बिस्वा का नया खसरा न0 747 रकबा 9 ऐयर कायम किया, मगर उक्त खसरा न0 का नया खसरा न0 कायम करते समय सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने बिना किसी अधिकार के बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विधि विरूद्ध तरीके से साबिक खसरा न0 682 रकबा 7 बिस्वा का मिलान क्षेत्रफल कायम करते समय उसका रकबा 7 बिस्वा के स्थान पर 4 बिस्वा दर्ज कर दिया, जबकि उसका रकबा मुताबिक साबिक जमाबंदी व साबिक रिकॉर्ड 7 बिस्वा कायम होना चाहिए था और उसका रकबा 9 ऐयर कायम कर उसे गलत रूप से गैरमुमकिन चाह सिवाचयक दर्ज कर दिया, जबकि उक्त खसरा न0 सायलान की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी साबिक खसरा न0 682 रकबा 7 बिस्वा बजमाने बुजुर्गान रही और मौके पर सायलान उक्त खसरा न0 पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलिये सायलान कानूनन सेटिलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा खिलाफ कानून बिना किसी अधिकार क्षेत्र के उनके द्वारा की गयी उपरोक्त गलती को कानूनन दुरूस्त कराने व खसरा न0 747 रकबा 9 ऐयर की खातेदारी अपने हक में कराने के कानूनन अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:16 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा न0 साबिक 681 रकबा [illegible] बिस्वा [illegible] खसरा न0 683 रकबा 6 बिस्वा जिसका हाल खसरा न0 748 [illegible] सायलान की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है, जिससे [illegible] किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है तथा सायलान अपनी उपरोक्त [illegible]जीयात पर काबिज व दखील होकर काश्त करते चले आ रहे है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्टया केस बखुबी साबित है।

बाका दिनांकब 10.08.2020 को दिन के करीब 12:00 बजे का है, कि मौके पर सायलान खसरा न0 हाल 747 व 748 में लगे हुए अपने अमरूद, सहतुत, जामुन व आम आदि के पेडों की देखभाल एंव गुडाई आदि कर रहे थे तो गैरसायलान नम्बर 1 ता 16 मय हमराहियान

सहित मौके पर आये और आते ही सायलान से कहा कि तुम्हारी जमीन पर पेडों को काटकर कब्जा करेगें और खसरा न0 747 सिवाचयक है, उसमें होकर रास्ता निकालेगें तो सायलान ने गैरसायलान से कहा कि खसरा न0 747 व 748 की भूमि हमारी बजमाने बुजुर्गान व खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि है, जो सेटिलमेन्ट ने खिलाफ कानून खसरा न0 747 को सिवाचयक कर दिया है, जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, तो उस पर गैरसायालान नाराज हो गये और सायलान को ऐलानिया धमकी दी कि जमीन से सारे पेडो को कटवाकर रास्ता निकाल कर रहेंगे और भूमि से तम्हे बेदखल उक्त दिनांक को ही तहसील सूरौठ रिकॉर्ड को दुरूस्त कराने आये और तहसीलदार से मिले व सेटिलमेन्ट द्वारा सायलान की बजमाने बुजुर्गान की खातेदारी की भूमि साबिक खसरा न0 682 रकबा 7 बिस्वा के मिलान क्षेत्रफल को दुरस्त करने व उसके हाल खसरा न0 747 रकबा 9 ऐयर को सिवाचयक के स्थान पर सायलान के नाम खातेदारी दर्ज करने के लिये कहा, तो उसने दुरूस्ती से इंकार कर दिया और सक्षम न्यायालय में चाराजोरी करने के लिये कहा, लेकिन गैरसायलान समझाने पर मानने को तैयार नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा दायर करना आवश्यक हुआ।

गैरसायालन को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है। जबकि गैरसायालन को पाबन्द नहीं करने से सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को दौराने वाद इस अम्र की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह स्वयं या अन्य किसी के द्वारा सायलान की बजमाने बुर्जुगान साबिक खातेदारी खसरा न0 681, 682, 683 के हाल खसरा न0 748 रकबा 14 ऐयर व खसरा न0 747 रकबा 9 ऐयर में सायलान के कब्जेकाश्त में मजाहमत मदाखलत नहीं करे तथा सायलान के उक्त खसरा न0 में लगे हुए पेडों जामुन, अमरूद, सहतूत, आम, नीम आदि को काटकर जबरन नहीं करे, नाहि ऐसा कोई कार्य करे जिससे सायलान के हक हकूकों को किसी प्रकार की क्षति पहूचे। मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति यथावत बनाऐ रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 13, 15 16 की ओर से श्री राधेश्याम अधिवक्ता जरिये वकालतन उपस्थित आये एवं जबाव प्रा0 पत्र पेश किया जो आदेशिका दिनांक 16.03.2021 से शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 मे सायलान द्वारा दावा पेश होना स्वीकार है लेकिन सायलान को सफलता मिलना कल्पना मात्र है।
2. प्रार्थना पत्र का मद न0 2 जिस प्रकार तहरीर है गलत है अस्वीकार है। साबिक खसरा न0 682 रकबा 7 बिस्वा 681 रकबा 6 बिस्वा, 683 रकबा 6 बिस्वा स्थित ग्राम शेरपुर तहसील हिण्डौन में सायलान के बाबा भुल्लन की खातेदारी की भूमि नहीं रही तथा साबिक खसरा न0 682 का रकबा 7 बिस्वा नहीं होकर 4 बिस्वा है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 3 जिस प्रकार तहरीर है गलत है अस्वीकार है। सायलान ने परिवार का सजरा गलत पेश किया है। सायलान ने गिर्राज को लाओलाद बताया है जबकि गिर्राज के दो लडके [illegible] जिनमें रामखिलाडी रहे है जिनमें रामखिलाडी आज भी जीवित है तथा [illegible] हो गया है जिसके चार लडके हरख्याल, धूजी, बटरा व फत्ते [illegible] सायलान ने जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया है। [illegible] पक्षकार का नुक्ज होने के कारण दावा एवं दरखास्त कानूनमय खर्चा खारिज होने [illegible] है।
4. प्रार्थना पत्र का मद न. 4 जिस प्रकार तहरीर है गलत है अस्वीकार है। साबिक खसरा न0 682 रकबा 7 बिस्वा नहीं होकर 4 बिस्वा है। सायलान का कोई बाबा भुल्लन नही थी तथा भुल्लन ने अपने जीवनकाल में एक पुख्ता चाह का निर्माण नहीं करवाया न ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:16 IST
Reason: SelfAttested

सायलान का कोई बाबा भुल्लन नहीं था भुल्लन ने अपने जीवनकाल में एक पुख्ता चाह का निर्माण नहीं करवाया न ही सायलान विगत पचास सालों से उक्त चाह का उपयोग उपभोग कर रहे है। आराजीयात मुतजिका मद न0 2 से प्रार्थना पत्र सायलान के बुजुर्गान की मिल्कीयत नहीं है।

5. प्रार्थना पत्र का मद न0 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है दौराने सेटिलमेन्ट कर्मचारियों ने साबिक खसरा न0 682 रकबा 7 बिस्वा का नया खसरा न0 747 रकबा 9 ऐयर कायम नहीं किया बल्कि साबिक खसरा न0 682 रकबा 4 बिस्वा का हाल रकबा 5 ऐयर दर्ज होना चाहिए इस प्रकार सायलान भू प्रबन्ध विभाग की गलती का नाजयाज फायदा उठाकर खसरा न0 747 के 4 ऐयर रकबे पर ज्यादा कब्जा कर सरकारी सिवाचयक भूमि खसरा न0 747 पर जबरन कब्जा कर गैरसायलान के गैर मुमकिन रास्ते को हडपना चाहते है तथा साबिक खसरा न0 682 से सायलान के बुजुर्गान का कोई संबंध वास्ता नहीं रहा न ही आज है तथा सायलान की नियत राजकीय भूमि को हडपने की रही है। इसलिये यह झुठा व मनगंढत दावा एवं दरखाश्त हाजा पेश किया है जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है।

6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 जिस प्रकार तहरीर है गलत है अस्वीकार है आराजी हाल खसरा न0 743 रकबा 14 ऐयर से सायलान का कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं है।

7. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 जिस प्रकार तहरीर है गलत है अस्वीकार है दिनांक 10.08.2020 को करीब 12 बजे गैरसायालन की सायलान से कोई किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं हुई न ही गैरसायालन ने सायलान को किसी भी प्रकार की कोई धमकी दी। उक्त मद में सारी बाते मनगंढत व बनावटी दर्ज की है जबकि सायलान की नियत हाल खसरा न0 747 रकबा 9 ऐयर पर जबरन अतिक्रमण कर गेरसायलान का रास्ता अवरूद्ध करने की रही है तथा वाद कारण पैदा करने की गरज से उक्त मद में सारे तथ्य गलत दर्ज किये है।

8. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 8 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है अस्वीकार है सायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है। गैरसायालान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने से अपूर्तनीय क्षति है।

एवं गैरसायल न0 14, 17, 18 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं जिससे आदेशिका दिनांक 20.07.2021 से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति मिशल हकीयत बंदोबस्ती साबिक खसरा न0 682, 683 ग्राम शेरपुर, खतौनी बंदोबस्त संता 2000– 2019 साबिक खसरा न0 682 जमाबंदी संवत 2013–16, जमाबंदी 2037–40, जमाबदी संवत 2030–2033, मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा न0 681, 682, 683, जमाबंदी संवत 2066–69 खसरा न0 747 पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। वकील गैरसायलान ने अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को नकारते हुए सायल का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेद्याज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:16 IST
Reason: SelfAttested

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति मिशल हकीयत बंदोबस्ती

साबिक खसरा न0 682, 683 ग्राम शेरपुर, खतौनी बंदोबस्त संता 2000– 2019 साबिक खसरा न0 682 जमाबंदी संवत 2013–16, जमाबंदी 2037–40, जमाबदी संवत 2030–2033, मिलान क्षेत्रफल साबिक खसरा न0 681, 682, 683, जमाबंदी संवत 2066–69 खसरा न0 747 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 748 रकबा 0.14 है0 वाके ग्राम शेरपुर की खातेदारी रामस्वरूप लच्छो पिता संपत जाति जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। दस्तावेज एंव उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो हम हम इस नतीजे पर पहुंचे कि सायलान विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हैं गैरसायलान का उक्त विवादित आराजीयात से कोई संबंध नहीं हैं अतः प्रकरण में उभयपक्ष की दौराने दावा पेचिदगियॉं पैदा नहीं हों, मौके की स्थिति में परिवर्तन एवं अनावश्यक वादकरण बढने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में दिनांक 09.09. 2020 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल दावे के ताफैसला होने तक स्वीकार किया जाता है कि उभयपक्ष विवादित आराजी की मौका की स्थिति तथा किसी प्रकार का रास्ता निर्माण नहीं करने सायलान की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त मदाहमत नहीं करने ताफैसला बनाये रखें।

आदेश आज दिनांक 05.09.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

5/9/24

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:18:16 IST
Reason: SelfAttested